

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.11.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 31.10.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही करने हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्टों, देवारा क्षेत्रों एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर मौके से कुल लगभग 85 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए कुल 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध 06 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया गया।

02. 06 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –

दिनांक 31.10.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01. दीपक सिंह उर्फ दीपू पुत्र उपेन्द्र सिंह सा0.कुसम्हा थाना मदनपुर देवरिया व 02. रजत दूबे उर्फ मकडू पुत्र बालेन्द्र दूबे सा0 वारीडीहा थाना मदनपुर देवरिया उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु फर्जी प्रपत्र, दस्तावेज, मुहर बनाने जैसे गम्भीर अपराध करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 31.10.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01. अच्छे लाल साहनी पुत्र जमुना साहनी सा0.कमधेनवा थाना रामपुर कारखाना देवरिया, 02. सोनू यादव पुत्र स्व0 विदेश्वर यादव सा0. शंकरपुर थाना बैकुण्ठपुर जनपद गोपालगंज बिहार, 03. विशाल साहनी पुत्र मनिकचन्द साहनी सा0.कमधेनवा थाना रामपुर कारखाना देवरिया व 04. प्रदीप साहनी पुत्र रामाधार साहनी सा0.कमधेनवा थाना रामपुर कारखाना देवरिया उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। इन अभियुक्तगण द्वारा आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु अंगूठे की छाप (थम्ब इम्प्रेशन) का क्लोन तैयार कर धोखाधड़ी, साइबर क्राइम जैसे गम्भीर अपराध करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना रामपुर कारखाना में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 31.10.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

* ➡थाना सलेमपुर-* मु0अ0स0 223/2021 धारा 323,504,506,452,376 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त रामप्रताप यादव उर्फ डिककू पुत्र भोला यादव सा0. लोहरा बभनौली थाना सलेमपुर देवरिया ।

* ➡थाना भलुअनी-* मु0अ0स 140/2021 धारा 376 भा0द0वि0 व 67 IT Act नाम पता अभियुक्त शशि उर्फ सुशील पासवान पुत्र सत्येन्द्र पासवान सा0.शिवपुर हरखौली थाना भलुअनी देवरिया ।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 31.10.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡वाहन चेकिंग के दौरान 63 वाहनों से 63,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

